IJAER/Sep-Oct 2018/Volume-7/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

महिलाओं का भारतीय संविधान में अधिकार एवं कानूनों के प्रति जागरुकता का संक्षिप्त मूल्यांकन

डॉ. मेहराज जहाँ, एसिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग, बी0 एस0 एम0 डिग्री कॉलिज, रूड़की

सार–

यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता भारतीय मान्यता के अनुसार जहॉ स्त्रीयों का सम्मान होता है, वहॉ देवता निवास करते हैं। भारतीय समाज में सृजन और मानवीय सभ्यता के विकास में स्त्री व पुरुष दोनों की समान सृजनात्मक भूमिका रही है। ये दोनों एक दूसरे के पूर्ण रूप से सहयोगी हैं। आज वर्तमान समय में महिलायें पुरुषें से आगे हर विभाग में कार्यरत हैं हम यदि कानूनी दृष्टिकोण से नारी के प्रति अपराधों को रोकने के लिए बनाऐ गये अधिनियमों की विवेचना करते हैं, तो स्पष्ट परिलक्षित होता है कि हमारे देश में नारी को लेकर बहुत सारे कानून बनाऐ गयें है। परन्तु उनको कानूनी शिक्षा के अभाव में उन्हें कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती और उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें कौन–कौन से कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के संवैधानिक अधिकार एवं कानूनों के प्रति कितना जागरुक हैं इसका अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना–

सर्वविदित है कि किसी भी समाज के निर्माण एवं विकास में महिला और पुरूष दोंनों की परस्पर सहभागिता व साझेदारी अत्यंत आवश्यक है। महिला व पुरूष को समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए के समान माना गया है। अतः समाज के विकास एवं निर्माण के लिए महिला एवं पुरूष की सहभागिता अनिवार्य होती है। विकास के साथ ही साथ नैसर्गिक सिंद्यांत की पालना एवं पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक है। महिलाओं के अधिकार की कमी मानव सभ्यता के साथ होती गई और समय के साथ ही साथ महिलाओं के आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन रहा है। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दुनियां में सबसे अधिक अपराध और अत्याचार महिलाओं के खिलाफ ही होते रहे है। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाएं और मानवाधिकार दोनों काफी महत्वपूर्ण हो जाते है। विश्व के लगभग सभी देशों में महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिये गये है, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। मानवाधिकारों के नजरिये से महिलाओं को विशेष रूप से व्यवहार करने योग्य माना गया है। महिला आन्दोलन के इस दौर में एक ओर महिलाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने की कवायद चल रही है वहीं दूसरी ओर महिलाओं के बीच भी अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूकता बढ़ी है। महिलाओं के मानवाधिकार का हनन मात्र अपराधी ही नहीं करते है अपितु पुलिस व सुरक्षा बल भी इस मामले में ज्यदा पीछे नहीं है। महिलाओं को आमतौर पर अपराध की दृष्टि से बेहद आसान लक्ष्य माना जाता है इसीलिए महिलाओं के विरूद्ध दुनिया भर में अपराध बढ़ रहे है। चाहे घर हो या बाहर, स्कूल हो या कार्यस्थल महिलाओं को हर जगह विविध प्रकार के अपराधों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समय समय पर काफी प्रयास किये है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम संयुक्त राष्ट्रों के लोग....मूलभूत मानवाधिकारों में, मानव व्यक्ति की गरिमा व मूल्यों में तथा महिला व पुरूषों के समान अधिकरों में आस्था व्यक्त करते है..... ।"

इस प्रकार कहा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकारों की घोषणा की गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की ''मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषण–पत्र'' में भी महिलाओं को बिना भेदभाव के अधिकरों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है।

प्राचीन काल से वर्तमान युग तक नारी के संघर्ष की गाथा बहुत लंबी है कहा जाता है 1000 वर्षों से पराधीनता में रहने वाली एकमात्र जाति "नारी" ही है। इसी कारण स्त्री को अंतिम उपनिवेश की भी संज्ञा दी जाती रही है। भारत में विभिन्न प्रदेशों की स्थिति को अगर देखा जाऐ तो कुछ राज्य शीर्ष पर हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्धप्रदेश विहार, राजस्थान, असम, महिलाओं के प्रति ज्यादा अपराध घटित हो रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कढोर कानून निर्मित किए जा रहे हैं। किन्तु जब तक पुरुष तथा समाज की मानसिकता में कोई सुधार नहीं आयेगा ऐसे कानूनों का कोई औचित्य नहीं रह जाता कयोंकि हर समस्या का जन्म समाज से होता है। भारतीय संविधान देखा जाऐ तो महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किया गए हैं। इसके साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वयन स्वंय महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना की गई है। जिसके लिए भारत में विशेष रूप से कोई आदेश नियम नहीं है। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा विशेष रूप से यौन शोषण के रूप में देखी जाती है। आज आयु सामाजिक–आर्थिक स्थिति, धर्म–जाति, आदि की परवाह किऐ बिना महिलाओं के विरूद्ध सम्पूर्ण समाज में व्याप्त है।

मानवाधिकार का ऐतिहासिक प्ररिप्रेक्ष्य–

19वी सदीं में बदलाव आना प्रारंभ हुआ जब नवजागरण काल में भारतीय फलक पर अनेक सुधारवादी व्यक्तित्व सक्रिय हुए। बंगाल में राजा राममोहन राय ने जहां सती प्रथा के खिलाफ मुहिम चलाई वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर और गुजरात में दयानंद सरस्वती ने महिला शिक्षा और विधवा विवाह जैसे मुद्दों को लेकर काम किया। महाराष्ट्र में सन् 1848 में सावित्री बाई फुले ने लडकियों हेतु प्रथम स्कूल पुणे में खोला। नारी उत्कर्ष की दिशा में यह एक विशिष्ट प्रयास था फलतः समूचे भारत की महिलाओं में एक नई चेतना जागृत होने लगी। 20 वी सदीं में इस प्रक्रिया को ठोस धरातल और भक्ति भारत में आजादी के बाद मिली। भारत के संविधान ने महिलाओं को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई माना और इन्हें नागरिकता, वयस्क मताधिकार और मूल अधिकारों के आधार पर पुरूषों के बराबर दर्जा तथा समान अधिकार प्रदान किए, किंतु वास्तविक शक्ति महिलाओं से अब भी दूर थी और है। संविधान के अनुच्छेद 39 में की गई व्यवस्था के अनुसार –राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरूष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्यात साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अतः भारतीय सरकार ने वर्ष 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया।

सर्वप्रथम 1946 में महिलाओं की परिस्थिति पर आयोग की स्थापना की गई थी। महासभा ने 7 नवंबर 1967 को महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय अंगीकार किया। 1981 एवं 1999 में अभियमय पर ऐच्छिक नवाचार को अंगीकार किया जिससे लैंगिक भेदभाव, यौन शोषण एवं अन्य दुरूपयोग से पीडित महिलाओं को अक्षम बनाएगा। मानव अधिकारो की रक्षा के लिए एवं संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए भारत में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार सम्मेलनों में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं महासभा के अधिवेशनों में मानवाधिकार के मुद्दों

पर सक्रिय रूप से भाग लिया हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 में मानव अधिकारों के उल्लंघन संबंधी शीघ्र सुनवाई उपलब्ध कराने के लिए मानवाधिकार न्यायालय अधिसूचित करने की परिकल्पना की गई हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के न्यायालय स्थापित भी किए जा चुके हैं। यहां यह कहना उचित होगा कि जब से मानवाधिकार संरक्षण कानून बना हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ हैं, नारी की स्थिति समाज में और अधिक सुदृढ होने लगी हैं। अब महिला–उत्पीडन की घटनाओं में भी अपेक्षाकृत कमी आई हैं। हमारी न्यायिक व्यवस्था ने भी नारी विषयक मानवधिकारो की समुचित सुविधा की हैं। आज महिलाएं कर्मक्षेत्र में भी आगे आई हैं। वे विभिन्न सेवाओं में कदम रखने लगी हैं लेकिन जब कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन की घटनाएं होने लगी तो न्यायपालिका ने उसमें हस्तक्षेप कर यौन उत्पीडन की घटनाओं पर अंकुश लगाना अपना दायित्व समझा। विशाका बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, ए. आई. आर. 1997 एस. सी. उमा का इस सम्बंध में महत्वपूर्ण मानना हैं। उल्लेखनीय हैं कि महिलाओं के प्रति निर्दयता को उच्चतम न्यायालय ने एक निरंतर अपराध माना हैं। पति द्वारा पत्नी को अपने घर से निकाल देने तथा उसे मायके में रहने के लिए विवश करने पर आपराधिक कृत्य का मामला दर्ज किया गया हैं। महिलाओं के सिविल एवं संवैधानिक अधिकारो पर विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में यह प्रावधान किया गया हैं कि धर्म, कुल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ विभेद नही किया जायेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में महिलाओं को भी समान अवसर प्रदान करता हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई हैं। महिलाओं को मात्र महिला होने के नाते समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन देने से इंकार नही किया जा सकता हैं। उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 1965 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरूष के समान वेतन एवं पदोन्नति के समान अवसर उपलब्ध कराने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 18 महिलाओं को सम्पत्ति में मालिकाना हक प्रदान करती हैं। श्रम कानून महिलाओं के लिए संकटापन्न यंत्री तथा रात्रि में कार्य का निषेध करते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम कामकाजी महिलाओं को प्रसुति लाभ की सुविधाएं प्रदान करता हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 में उपेक्षित महिलाओं के लिए भरण पोषण का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर महिला विषयक मानवाधिकारों को विभिन्न विधियों एवं न्यायिक निर्णयों में पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया हैं। बदलते परिवेश में संविधान में 12वे संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत नारी सम्मान को स्थान दिया गया और नारी सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करने का आदर्श अंगीकृत किया गया हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग नारी सम्मान की रक्षा एवं सतत प्रयासरत हैं।

वर्तमान में भारतीय महिलाएं समाज व राज्य की विभिन्न गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता कर रही हैं परंतु इससे उनके प्रति घरेलू हिंसा के अलावा कार्यस्थल पर सडको एवं सार्वजनिक यातायात के माध्यमों में व समाज के अन्य स्थलों पर होने वाली हिंसा में भी वृद्धि हुई हैं। इसमें शारीरिक, मानसिक व यौन सभी प्रकार की हिंसा शामिल हैं। प्रताडना, छेडछाड, अपहरण, बलत्कार, भ्रूण हत्या (यौन उत्पीडन, दहेज मृत्यु, दहेज निषेद व अन्य) यह अन्याय पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं पर इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। मानव अधिकारों

की सार्वभौमिक घोषणा ने भेदभाव को न करके सिद्धांत की अतिपुष्टि की थी और घोषित किया था कि सभी मानव स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा एवं अधिकारों में समान हैं तथा सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, जिसमें लिंग पर आधारित भेदभाव भी शमिल हैं। फिर भी महिलाओं के विरूद्ध अत्यधिक भेदभाव होता रहा हैं।

महिलाओं के अधिकार–

संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान ही मौलिक स्वंत्रताएं तथा अधिकार प्रदान किए गये हैं। भारतीय संविधान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषेध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में मौलिक कर्तव्यों के अन्तर्गत महिलाओं के प्रति सम्मान का विवेचन किया गया है। महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेकों वैधानिक उपायों को भी उपबधित किया गया है। विश्वभर में महिलाऐं बिना भेदभाव, अन्याय या हिंसा के बिना डरे अपनी प्रगति कर सकें और समाज के उत्थान एवं विश्व शान्ति में अपना पूर्ण योगदान दे सकें, महिलाओं को सम्पूर्ण विश्व में एक सम्मानीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को विश्व महिला वर्ष घोषित किया गया था।

भारत में महिलाओं को संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गयी, यह आयोग संवैधानिक संस्था है। जो महिलाओं के अधिकांश के प्रति सजग है, और मुख्य रूप से लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबन्धित विषयों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

भारतीय संविधान भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय धरोहर है। 26 जनवरी 1950 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इसी दिन देश सदियों की दासता व उतार चढ़ाव के पश्चात नये गणराजय के रूप में उभर कर सामने आया। भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं को बहुत से संवैधानिक एवं विधिक अधिकार प्रदान किये गए हैं। इस के साथ–साथ ही इन अधिकारों के उचित क्रियान्वन एवं महिलाओं को उत्पीड़न से बीसीएचएएनई हेतु विभिन्न आयोगों की स्थापना बीएचआई की गयी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिये भारतीय संविधान में निम्न संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं–

- (अनु०–14) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार–भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा। समानता से यहाँ अभिप्राय यह है कि स्त्री व पुरुष में किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं है तथा यह अधिकार समान रूप से दोनों का प्राप्त होगा।
- (अनु०–15) : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार "राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद भाव नहीं करेगा "भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि पुरुष एवं महिला को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही इस अनु० के खण्ड 3 में स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था भी कि गयी है।
- (अनु०–19) : अनु० 19 महिलाओं को स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करता है ताकि महिलाएं स्वतन्त्रता पूर्वक भारत राज्य के क्षेत्र में आवागमन कर सकें। किसी भी कार्य से वंचित करना मौलिक अधिकार का

उल्लंघन माना गया है।

- (अनु० 23–24) : अनु० 23 व 24 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध होने वाले शोषण को नारी के मान सम्मान के विपरीत मानते हुए उनकी खरीद–फरोख्त, वैशया–वृति, कराना आदि को दंडनीय अपराध कि श्रेणी मेंरखा गया है। इसके लिए सन् 1956 में "वीमेन एंड गर्ल्स एक्ट" भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया ताकि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले सभी प्रकार के शोषण को समाप्त किया जा सके।
- (अनु०–39) : अनु० 39 के अनुसार स्त्री को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार तथा अनु० 39(द) के अनुसार समन कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। जिससे उन्हें आर्थिक न्याय कि प्राप्ति हो सके।
- (अनु०–42) : अनु० 42 महिलाओं को प्रसूति अवकाश प्रदान करता है।
- (अनु०–46) : अनु० 46 राज्य के दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधनी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करेगा।
- (अनु०–51) : संविधान के भाग 4 के अनु० 51 (क) तथा (3) में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि हमारा दायित्व है कि हम हमारी संस्कृति कि गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए इस प्रकार कि प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के खिलाफ हों।
- (अनु०–243) : अनु० 243 (द) के (3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे गए स्थानों की कुल संख्या के 1/3 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेगें तथा चक्रानुक्रम से पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित किए जाएंगे।
- (अनु० – 325) : अनु० 325 के अनुसार निर्वाचक नामावली में तहला एवं पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मलित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

वधिक उपबंध–

- महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों एवं अत्याचारों के निवारण हेतु राज्य द्वारा विभिनन अधिनियम पारित किये गए है। ताकि महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त हो सके तथा सामाजिक भेद भाव से उनकी सुरक्षा हो सके। भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रावधान के अनुसार महिलाओं पीआर होने वाले अत्याचार एवं निर्दयता के विरूद्ध व्यवस्था की गयी है। (धारा 292 से 294 के तहत) : धारा 292 से 294 के तहत विशिष्टता और सदाचार को प्रभावित करने वाले मामलों पीआर रोक लगाई गयी है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्त्रियों के अशलील चित्र प्रदर्शित किए जाते हैं अथवा कोई खरीद फरोख्त की जाती है अथवा अश्लील प्रदर्शन करता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा एवं 2 हजार तक जुर्माना अथवा दोनों ही सजाओं का प्रावधान किया गया है।
- (धारा 312 से 318 के तहत) : धारा 312 से 318 के तहत यदि कोई व्यक्ति गर्भपात कराता है, अजन्मे शिशुओं को नुकसान पहुंचाता है, शिशुओं को अरक्षित छोड़ता है तथा जन्म छिपाता है तो इस कार्य के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया है।

- (धारा – 354) : धारा 354 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री की लज्जा भग करता है अथवा करने के उद्देश्य से आपराधिक बल का प्रयोग करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
- (धारा–361) : धारा 361 के अनुसार यदि किसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम है और उसे कोई व्यक्ति उसके संरक्षक के संरक्षता के बिना सहमति के या उसे बहला–फुसला कर ले जाता है तो वह व्यक्ति अपहरण का दोष होगा तथा उसके खिलाफ धारा 363 से 366 में दंड का प्रावधान किया गया है।
- (धारा – 372) : धारा 372 के तहत यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला को वैश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बेचे जाने पर दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है।
- (धारा 375–376) : धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है तथा धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान है।
- (धारा 498) : धारा 498 (अ) के अनुसार यदि कोई पति या उसका कोई रिश्तेदार उसकी पत्नि के साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार करता है अथवा दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके लिए 2 वर्ष की सजा का प्रावधान हैं।
- (धारा–509) : धारा 509 के अनुसार यदि कोई किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आश्य से कोई शब्द कहता है या कोई ध्वनि या कोई अंग विक्षेप करता है या कोई इस प्रकार का कार्य करता है जिससे किसी स्त्री की एकांतता पर अतिक्रमण होता है तो इस प्रकार के व्यक्ति को एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

कटियार, श्रद्धा, (2015) ने उन्नाव और कानपुर जनपद में समेकित बाल विकास योजना के अपने मूल्यांकन अध्ययन में लिखा है कि यह योजना छोटे बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं/किशोरियों को लाभ पहुंचाने के लिए संचालित की जाती हैं इन सेवाओं को आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं द्वारा सामुदायिक संरचनाओं, ऑगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्वास्थ्य व्यवस्था के द्वारा प्रदान की जाती हैं यह योजना सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हेतु आधार प्रदान करती है। यह निर्धन परिवार की लड़कियेां को बच्चों की देखभाल के दबाव से निजात दिलाती हैं और उन्हें प्राथमिक शिक्षा में सहभागिता के योग्य बनाती है।

यू.बी. सिंह, (2016) ने अपनी पुस्तक नगरीय अवस्थापना सुविधायें (परिप्रेक्ष्य एवं नणनीति) भारत में नगरीय अवस्थापना सुविधायें (परिप्रेक्ष्य एवं रणनीति), में लिखा है। कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गरीबी मात्र आर्थिक विपन्नता से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि उसके पास समुचित आवास नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा तथा पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य की सुविधायें लगभग नगण्य हैं। कुपोषण, भुखमरी, बीमारी, प्रदूषण, गन्दगी से जूझता भारतीय शहरों का एक बड़ा वर्ग है जो अपनी मूलभूत सूविधाओं से वंचित रहा है जिसमें महिलाओं की काफी अधिक संख्या है।

सिंह, दिब्या (2017) ने सुल्तानपुर जनपद में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का शोध अध्ययन किया। साक्षात्कार विधि पर आधारित इस शोध अध्ययन में उन्होंने पाया कि महिलाओं को आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से आत्मनिर्भर बनाकर महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। उन्होंने अपने अध्ययन में 300 महिलाओं

का साक्षात्कार लिया।

शर्मा एवं मिश्रा (2016) ने वर्णन किया है कि भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक न्याय, समता एवं प्रतिष्ठा बिना किसी भेदभाव के प्रदान करता है पर वास्तविकता यह है कि महिलाओं को वह सम्मान प्राप्त नहीं है, जो होना चाहिए। महिलाओं के विरूद्ध अपराध की दर प्रतिदिन बढ़ती जा रही है महिलाओं के अधिकारोंको वास्तव में विशेष सीान नहीं मिल पाया है। प्रायः इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहा है। यद्यपि सरकार द्वारा महिलाओं के विकास के लिए अनेक कानून बनाये जा रहे हैं, लेकिन महिलाए इन सब प्रयासों से पूर्णत लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं। इसका प्रमुख कारण– महिलाओं मेंइसके प्रति चेतना का अभाव है अगर उन्हें इसके बारे में कहीं से पता चल भी जाता है, तो परिवार एवं समाज की परम्पराएँ उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती है।

निष्कर्ष–

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को बढ़ाने में अशिक्षा, सुरक्षा सम्बन्धित अधिकारों की कमी, मादक पदार्थों का दुरुपयोग आदि कारण है। महिलाओं में अनेक मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकरी देना भारत सरकार एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए परम आवश्यक साथ में सुरक्षा सम्बन्धित अधिनियमों की जानकारी से समाज की महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। देश में कुल मतदाताओं में आधी संख्या महिलाओं की है, मगर इसके बावजूद भी लोक सभा तथा राज्य विधान मण्डलों में उनकी उपस्थिति लगभग नगण्य है। महिलाओं में साक्षारता की दर भी काफी कम हैं आंकड़ों से स्पष्ट है कि 66 पुरुषों की तुलना में सिर्फ 39 महिलाएं ही शिक्षित हैं। संविधान में इतने नियम व कानून होने के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार तो हुआ है लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं। जिसके पीछे मुख्य कारण है अधिकतर महिलाओं को कानूनों एवं अधिकारों के बारे में पर्याप्त ज्ञान का न होना। अतः महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए कानून व सरकार के साथ समाज को भी भागीदारी प्रयास करने होंगे तथा अपनी उचित भूमिका का निर्वहन करना होगा। इन सामुहिक प्रयासों से ही महिलाओं को सम्मानीय दर्जा व उनके अधिकारों की प्राप्ति हो सकेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

- एम.पी. सिंह (2016) नारीशक्तिकरण, ग्रन्थ, पब्लिकेशन, हाउस, जयपुर
- कटियार श्रद्धा, (2015) समेकित बाल विकास योजना मूल्याकन, सीरियल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- मीनाक्षी सिंह, महिला कानून, गुड़गांव, महेन्द्र बुक कम्पनी, 2013.
- मेरी वोल्सटनक्राफ्ट, स्त्री अधिकारों का औचित्य साधन, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2003.
- सिंह दिव्या (2017) महिला विकास कार्यक्रम, लोक प्रशासन विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय
- भारतीय संविधान एम.पी. राय, कालेज बुक डिपो जयपुर, 1984
- भारतीय संविधान डॉ. एम.वी. पाथली, यूनाइटिड बुक हाऊस, दिल्ली 1977
- रामचंद्र गुहा, (अनु0) सुशांत झा, भारत गांधी के बाद, नई दिल्ली, पेंगुइन बुक्स, 2017.

- शर्मा एवं मिश्रा (2016) मानवाधिकार सिद्धान्त एवं व्यवहार, बुक डिपो (जयपुर)
- साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दें, नई दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यालय निदेशालय, 2001.
- डा0 पुरुषोत्तम नागर, आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2003.
- वी. एन. सिंह, जनमेजय सिंह, नारीवाद, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन्स, 2016.
- वी. एन. सिंह, जनमेजय सिंह, आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, जयपुर, रावत पब्लिकेशन्स, 2010.